

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department

Notification

PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM(CONTROL)(THIRD AMEDEMMENT) ORDER, 2014

G.S.R.-----Patna, Dated -----


In exercise of power conferred under section-3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act-10 of 1955), the Government of Bihar, Food and Consumer Protection Department, Bihar, Patna hereby makes the following amendments in Para-2, Para-3 and Para-5 of Public Distribution System (Control) Amendment order, 2011 as issued vide Pra. 04/Vi.-02-04/2001-5738 dated 23rd June, 2011.

AMENDMENT

1. Subpara - 2.1 (iv) of Para-02 of the said order 2011 is reinserted.
"(IV)-Reservation in allotment of Fair Price Shops are as follows :-
 - Scheduled Caste - 16 Percent.
 - Scheduled Tribe - 01 Percent.
 - Most Backward Class - 18 Percent.
 - Backward Class - 12 Percent.
 - Women Backward Class - 03 Percent"
2. Subpara - 2.2 of Para-02 of the said order 2011 is reinserted..
"2.2-Reservation criteria shall be applicable at Sub Divisional Level."
3. Subpara - 2.3 of Para-02 of the said order 2011 is reinserted..
"2.3-Following People and Institutions shall be given priority in allotment of Fair Price of Shops, excluding compassionate cases. "
4. Subpara - 2.4 of Para-03 of the said order 2011 is reinserted.
"2.4-Priority for issuance/New license shall be as follows :-
 - (a) Self Help Group.
 - (b) Gram Panchayat.
 - (c) Co-operative Society.
 - (d) Women/ Co-operative Society run by women.
 - (e) Ex-Army Co-operative Society.
 - (f) Handicapped.
 - (g) Educated unemployed.
 - (h) Preference should be given to the applicant who is resident of concerned panchayat or ward. "
5. Subpara - 2.7 of Para-05 of the said order 2011 is reinserted.
"2.7-Compliance of Population and Reservation Criteria are necessary in process of allotting Shops."

(pra-04-PDS-06/2014)

By the order of the Governor


(Lalal Prasad Singh)

Joint Secretary to the Govt.

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) (तृतीय संशोधन) आदेश-2014

जी0एस0आर0-----/पटना, दिनांक ----- आवश्यक वस्तु अधिनियम-(1955 का केन्द्रीय अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एतद् द्वारा प्र-04-वि0-02-04/2001-5738 दिनांक- 23.06.11 द्वारा यथानिर्गत सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011 की कंडिका- 02, 03 एवं 05 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

संशोधन


1. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2.1 (IV) पुनः अंतःस्थापित की जाती है :-

“(IV)-दुकान आवंटन में आरक्षण निम्न प्रकार होगा।

अनुसूचित जाति	-	16 %
अनुसूचित जनजाति	-	01 %
अत्यंत पिछड़ा वर्ग	-	18 %
पिछड़ा वर्ग	-	12 %
पिछड़े वर्गों की महिलाएँ	-	03 % ”

2. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2.2 पुनः अंतःस्थापित की जाती है
“2.2-आरक्षण का मानक अनुमण्डल स्तर पर लागू माना जाएगा।”
3. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -02 की उप कंडिका-2.3 पुनःस्थापित की जाती है।
“2.3- दुकान आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्था को अनुकम्पा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जाएगी। ”
4. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -03 की उक्त कंडिका 2.4 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है।
“2.4- नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए प्राथमिकताएँ निम्न प्रकार होंगी :-
(क) स्वयं सहायता समूह
(ख) ग्राम पंचायत
(ग) सहकारी समितियाँ
(घ) महिलाएँ/महिलाओं की सहयोग समितियाँ
(ङ) पूर्व सैनिकों की सहकारी समितियाँ
(च) विकलांग
(छ) शिक्षित बेरोजगार
(ज) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ”
5. उक्त आदेश, 2011 की कंडिका -05 की उप कंडिका-2.7 पुनः अन्तःस्थापित की जाती है।
“2.7- दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या एवं आरक्षण मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। ”

(प्र04-पी0डी0एस0-06/14)
बिहार राज्यपाल के आदेश से



(ललन प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र04-पी0डी0एस0-06/14 - 61

पटना, दिनांक- 05.01.2015

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 (M.S.Word) में तथा दो हार्ड कॉपी एवं शीर्षक (विषय) अंग्रजी एवं हिन्दी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।


अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की प्रति 100 प्रतियों अद्योहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र04-पी0डी0एस0-06/14 - 61

पटना, दिनांक- 05.01.2015


प्रतिलिपि :- सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्ता/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (प्रेस नोट सहित)/विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/सभी आपूर्ति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी-04 एवं 07, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार/महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्यालोक, पटना/महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डिलर एसोसिएशन, भिखना पहाड़ी, पटना/महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- प्र04-पी0डी0एस0-06/14 - 61

पटना, दिनांक- 05.01.2015

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।